



2026: AHC: 25640

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - **4541** वर्ष **2026**

राज कुमार मौर्ययाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: पुष्कर बाबू कुशवाहा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी., प्रदीप सिंह

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. आज पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के आलोक में, निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
3. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा की गई एकमात्र प्रार्थना प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् उप-जिलाधिकारी चुनार, तहसील चुनार, जिला मिर्जापुर को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के तहत लंबित बंटवारा वाद संख्या 8182 वर्ष 2023 (कंप्यूटर वाद संख्या T202316530408182) (राज कुमार मौर्य बनाम राम विलास मौर्य एवं अन्य) में लंबित बहाली आवेदन दिनांक 07.04.2025 और स्थगन आवेदन को निर्धारित अवधि के भीतर तय करने का निर्देश देना है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. उपस्थित पक्षों के अधिवक्ता को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
5. पक्षों के अधिवक्ताओं की सहमति से, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है और प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् उप-जिलाधिकारी चुनार, तहसील चुनार, जिला मिर्जापुर को याचिकाकर्ता द्वारा दायर उक्त मामले को शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर, बिना किसी अनावश्यक स्थगन के निस्तारित करने का निर्देश दिया जाता है, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

5 फरवरी, 2026

टी.एस.

(प्रकाश पांडिया, जे.)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"